

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है। दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उपरोक्त वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु उपरोक्त प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः उपरोक्त इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज	
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर
1	2	3	4	5	6
	मर्जुनराम पुत्र	41/535	0.24	शर्जन लाल पुत्र	41/535 0.24
	लाडूराम शाह	41/531	2.22	लाडूराम शाह	41/531 2.22
		44/533	1.20		44/533 1.20

जाकीपुत्र
का सि 3

क्रमांक :- PGKSA/21/122

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिबिर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडलाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :- 11/10/21

शिबिर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडलाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थापन नहीं हो तो निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थापन नहीं हो तो निर्णय

उप तहसीलदार, मौलासर